

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

विषय: जनपद आगरा एवं तहसील फतेहाबाद में शमशाबाद-राजाखेड़ा मार्ग (MDR-113) के कि.मी. चैनेज 26.332 पर मार्ग की बांयी पटरी के किनारे ग्राम एत्मादपुर-अजनेरा के खसरा सं०-203 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउट लेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0744188 है० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग।

14. स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं)
यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

नहीं

15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।

सहमति व्यक्त की जाती है।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

प्रस्ताव जनहित में होने के कारण स्वीकृति की जाती है।

दिनांक -

स्थान - आगरा

(पी.पी. सिंह)
वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा